कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश,

ए-विंग, द्वितीय तल, वन भवन, तुलसी नगर, लिंक रोड नं.-2 भोपाल

कक्ष-(संयुक्त वन प्रबंध) ई-मेल :apccfjfm@mp.gov.in, फोन नं.-2524197

क्रमांक / सं.व.प्र. / ब.मा.पु. / 743 भोपाल, दिनांक 30/09/2025

प्रति,

आयुक्त,
जनसम्पर्क संचालनालय,
बाणगंगा, भोपाल (म.प्र.)

विषय : **मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा घोषित बसामन मामा स्मृति वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार वर्ष 2023–24 हेतु विज्ञापन प्रसारित किए जाने के संबंध में।**

संदर्भः– **कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सं.व.प्र. / ब.मा.पु. / 659 दिनांक 08 अगस्त 2025.**

---0---

राज्य शासन द्वारा "**बसामन मामा स्मृति वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार**" की स्थापना की गई है। इस वर्ष दिये जाने वाले पुरस्कार हेतु नामांकन आमंत्रित करने की रूपरेखा तथा अन्य विवरण से जन–साधारण को अवगत कराया जाना है। इस संबंध में पूर्व में प्रसारित विज्ञापन के द्वारा दिनांक 15.09.2025 तक प्रस्ताव चाहे गये थे, किन्तु पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं, अतः अधिक से अधिक प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु पुनः विज्ञापन प्रसारित किया जाना है। इस संबंध में एक विज्ञापन प्रारूप संलग्न है।

अनुरोध है कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों **विशेष रूप से विंध्य क्षेत्र** से प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार पत्रों में यह विज्ञापन प्रकाशित करवाने का कष्ट करें, जिससे जन–साधारण को इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके। यह विज्ञापन समाचार पत्रों में 10.10.2025 के पूर्व कम से कम दो बार प्रकाशित करने का कष्ट करें, जिन समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाए, उन समाचार पत्रों की प्रतियाँ इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का भी कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

30.9.25

(डॉ. बी.एस. अन्निगेरी)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सं.व..प्र.)
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक / सं.व.प्र. / ब.मा.पु. / 744 भोपाल, दिनांक 30/09/ 2025

प्रतिलिपिः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया संलग्न विज्ञापन, पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सं.व.प्र.)
मध्य प्रदेश, भोपाल

कक्ष / कर्मचारी का नाम
अ.प्र.मु.व.स. (सू.प्रौ.)

1/10/25

E:\2025-26\पुरस्कार\बसामन मामा\लेटर.doc

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश,

ए-विंग, द्वितीय तल, वन भवन, तुलसी नगर, लिंक रोड नं.-2 भोपाल

कक्ष-(संयुक्त वन प्रबंध) ई-मेल :apccfjfm@mp.gov.in, फोन नं.-0755-2524197

बसामन मामा स्मृति वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण पुरस्कार, 2023–24

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा **विंध्य क्षेत्र एवं मध्य प्रदेश में वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण तथा वन संवर्धन के क्षेत्र में प्रदर्शित की गई शूरवीरता, अदम्य साहस, उत्कृष्ट कार्य एवं उल्लेखनीय योगदान तथा मध्य प्रदेश में निजी भूमि में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु** अशासकीय व्यक्तियों एवं शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिये दो श्रेणियों में बसामन मामा स्मृति पुरस्कार– **विन्ध्य क्षेत्र स्तरीय पुरस्कार (वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण हेतु)** एवं **राज्य स्तरीय वन संवर्धन पुरस्कार (निजी भूमि में वृक्षारोपण हेतु)** हेतु नामांकन आमंत्रित किये जाते हैं। इसके तहत् निम्नानुसार पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे:–

1	**विन्ध्य क्षेत्र स्तरीय पुरस्कार (वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण हेतु)**		
	पुरस्कार वर्ग		पुरस्कार
	(क) शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु	(ख) अशासकीय व्यक्तियों हेतु	
	1. प्रथम पुरस्कार	1. प्रथम पुरस्कार	रू. दो लाख तथा प्रशस्ति पत्र
	2. द्वितीय पुरस्कार	2. द्वितीय पुरस्कार	रू. एक लाख तथा प्रशस्ति पत्र
	3. तृतीय पुरस्कार	3. तृतीय पुरस्कार	रू. पचास हजार तथा प्रशस्ति पत्र
2	**राज्य स्तरीय वन संवर्धन पुरस्कार (निजी भूमि में वृक्षारोपण हेतु)**		
	(क) राज्य के अंतर्गत – 5 हेक्टेयर से अधिक	(ख) राज्य के अंतर्गत – 5 हेक्टेयर से कम	
	1. प्रथम पुरस्कार	1. प्रथम पुरस्कार	रू. दो लाख तथा प्रशस्ति पत्र
	2. द्वितीय पुरस्कार	2. द्वितीय पुरस्कार	रू. एक लाख तथा प्रशस्ति पत्र
	3. तृतीय पुरस्कार	3. तृतीय पुरस्कार	रू. पचास हजार तथा प्रशस्ति पत्र

पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के द्वारा दिनांक 15.09.2025 तक प्रस्ताव चाहे गये थे, किन्तु पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः अधिक से अधिक प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु अवधि में वृद्धि की जा रही है।

विस्तृत जानकारी तथा नामांकन पत्र का प्रारूप मध्य प्रदेश में स्थित निकटतम वनवृत्त के मुख्य वन संरक्षक, वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) एवं वन्यप्राणी शाखा के क्षेत्र संचालक टायगर रिजर्व कार्यालय या वन विभाग, मध्य प्रदेश की वेबसाईट **www.mpforest.gov.in** से प्राप्त की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र के नामांकन जिला पंचायत/जनपद पंचायत की अनुशंसा सहित वन संरक्षक (क्षेत्रीय)/वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) एवं वन्यप्राणी शाखा के क्षेत्र संचालक टायगर रिजर्व को भेजे जायें। **निर्धारित फार्म पर भरे हुए नामांकन संबंधित क्षेत्र के वन संरक्षक (क्षेत्रीय)/वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी) एवं वन्यप्राणी शाखा के क्षेत्र संचालक टायगर रिजर्व के कार्यालय में पांच प्रतियों में दिनांक 30.10.2025 को सायंकाल 05.00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं।**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सं.व.प्र.)
मध्य प्रदेश, भोपाल

आवेदन–पत्र

बरामन मामा स्मृति वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण पुरस्कार वर्ष हेतु

विन्ध्य क्षेत्र स्तरीय पुरस्कार हेतु

1. नामित संस्था/व्यक्ति (शासकीय/अशासकीय) का नाम : ....
   पूरा पता : ....
   ....
   दूरभाष/मोबाईल नं ....
   ईमेल एवं यदि कोई वेबसाइट हो तो उसका नाम : ....
   ....
2. कार्य क्षेत्र (कार्य स्थल का नाम) : ....
3. पुरस्कार वर्ग : ....
4. किये गये कार्य का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 2 पृष्ठ) (यदि विवरण अधिक हो तो पृथक से अधिकतम 2 पृष्ठ संलग्न करें।) : ....
   ....
   ....
   ....
   ....
   ....
5. किये गये कार्य का विस्तारपूर्वक विवरण (विगत 5 वर्षों का)। कार्य विवरण देते हुए यह भी बतायें कि : ....
   ....
   अ–कार्य की क्या विशेषता है? : ....
   ....
   ब–कार्य में जन भागीदारी किस प्रकार निहित है? : ....
   ....
   स–क्या किये गये कार्य का विस्तार अन्य क्षेत्रों में हुआ है अथवा उसकी क्या संभावना है? : ....
   ....
6. शासकीय कर्मचारी अपने दायित्वों के अतिरिक्त किये गये विशिष्ठ कार्य का उल्लेख करें, जिनके कारण पुरस्कार दिया जावे। : ....
   ....

आवेदक के हस्ताक्षर

7. व्यक्तिगत (शासकीय कर्मचारी) वन एवं अन्य विभाग, श्रेणी "क" एवं "ख" के प्रस्ताव संबंधित शासकीय सेवक अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से निम्नानुसार प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगें:–

प्रमाण–पत्र

1. नाम..............................
2. पद .... 3. वेतनमान ....
4. विभाग ....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त शासकीय सेवक के विरूद्ध विभागीय जांच/लोकायुक्त/आर्थिक अपराध ब्यूरो में कोई भी प्रकरण दर्ज/लंबित नही है।

हस्ताक्षर
एवं कार्यालयीन पद मुद्रा
(नियंत्रक अधिकारी)

प्रमाणीकरण (संबंधित वन संरक्षक (क्षेत्रीय / वन्य प्राणी) / वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय / वन्य प्राणी) द्वारा आवेदक के प्रकरण के ऊपर अपनी **हस्तलिखित तथ्यात्मक टीप** तथा स्पष्ट अनुशंसा दी जाये तथा कार्य में सहभागिता, नवाचार, प्रभावशीलता, कार्य के फैलाव तथा साहस से संबंधित विषयों पर विशेष टीप दी जाये।) तथा सत्यापित किया जाये कि नामित संस्था / व्यक्ति (शासकीय, अशासकीय) द्वारा दिया गया विवरण सही एवं सत्य है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर
वन संरक्षक (क्षेत्रीय) / वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल ....

आवेदन–पत्र

बसामन मामा स्मृति वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण पुरस्कार वर्ष हेतु

राज्य स्तरीय वन संवर्धन पुरस्कार (निजी भूमि में वृक्षारोपण)

1. आवेदक का नाम ....
2. पता ....
3. दूरभाष एवं मोबाईल नं. ....
4. ईमेल एवं बेवसाइट यदि कोई हो तो..........
5. आवेदक का व्यवसाय ....
6. पुरस्कार वर्ग (5 हेक्टेयर से अधिक/5 हेक्टेयर से कम) ....
7. वृक्षारोपण का स्थल (खसरा क्रमांक तथा खसरा नकल सहित जिसमें स्वामित्व का उल्लेख हो) ....
....
....
8. वृक्षारोपण का क्षेत्रफल ....ग्राम/स्थल का नाम..........
9. वृक्षारोपण करने का वर्ष ....
10. रोपित पौधों की प्रजातियाँ एवं उनकी संख्या..........
11. रोपित पौधों की वर्तमान औसत ऊंचाई एवं गोलाई (प्रत्येक प्रजाति हेतु औसत ऊंचाई एवं गोलाई पृथक–पृथक दर्शायें) ....
12. जीवित पौधों की प्रजातिवार संख्या एवं प्रतिशत..........
13. वृक्षारोपण का छायाचित्र स्थल के नाम सहित (विहंगम दृश्य के साथ) ....
14. पूर्व में प्राप्त पुरस्कार का विवरण ....
15. वृक्षारोपण से प्रभावित अन्य व्यक्तियों के नाम एवं पते ....
....

दिनांक :

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा सत्यापन उपरान्त प्रविष्ट किये जाने वाली टीप, जिसमें वृक्षारोपण की उम्र, उसकी बढ़त, तकनीकी गुणवत्ता इत्यादि पर टीप उपरोक्त बाक्स में दी जावे।

दिनांक :

सत्यापनकर्ता (राजपत्रित) अधिकारी के नाम,
हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा

वन मण्डलाधिकारी द्वारा उपरोक्त बाक्स में अपनी टीप दी जावे।

दिनांक :

(वन मण्डलाधिकारी)
हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा

बसामन मामा स्मृति वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण पुरस्कार हेतु दिशा–निर्देश एवं शर्तें

–0–

1. बसामन मामा स्मृति वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण पुरस्कार को दो श्रेणियों में बांटा गया है
   - (i) विन्ध्य क्षेत्र स्तरीय पुरस्कार (वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण हेतु)
     - (क) मध्य प्रदेश के विन्ध्य क्षेत्र में वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण के क्षेत्र में वनों एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिये प्रदर्शित की गई शूरवीरता हेतु।
   - (ii.) राज्य स्तरीय वन संवर्धन पुरस्कार (निजी भूमि में वृक्षारोपण हेतु)
     - (क) राज्य के अन्तर्गत 5 हेक्टेयर से अधिक निजी भूमि में वृक्षारोपण
     - (ख) राज्य के अन्तर्गत 5 हेक्टेयर से कम निजी भूमि में वृक्षारोपण
2. विन्ध्य क्षेत्र के अन्तर्गत टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहड़ोल, अनूपपुर जिलों से प्राप्त नामांकनों पर ही विचार किया जायेगा।
3. वृक्षारोपण कार्य में संलग्न व्यापारिक प्रतिष्ठान राज्य स्तरीय बसामन मामा स्मृति वृक्षारोपण पुरस्कार हेतु पात्र नहीं होंगे।
4. राज्य स्तरीय बसामन मामा स्मृति वृक्षारोपण पुरस्कार के लिए 05 वर्षों से अधिक उम्र के वृक्षारोपण ही पात्र माने जायेंगे एवं इसके लिए पांच हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में न्यूनतम 5000 पौधों का सफल रोपण एवं पांच हेक्टेयर से कम क्षेत्र में न्यूनतम 1500 पौधों का सफल रोपण ही मान्य योग्य होगा, जो पुरस्कार वर्ष में कम से कम 75 प्रतिशत जीवित एवं स्वस्थ्य होना अनिवार्य है।
5. पुरस्कारों हेतु वृक्षारोपण का चयन उनकी बढ़त, तकनीकी गुणवत्ता, प्रजाति तथा समाज में वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में इनके योगदान, आदि मापदण्डों के आधार पर किया जायेगा।
6. विन्ध्य स्तरीय एवं राज्य स्तरीय आवेदनकर्ता को विगत 5 वर्षों में एक बार भी यदि किसी भी पुरस्कार योजना के अंतर्गत नगद पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो उनके प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे।
7. ग्रामीण क्षेत्र के नामांकन जिला पंचायत/जनपद पंचायत की अनुशंसा सहित वन संरक्षक (क्षेत्रीय)/वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय तथा वन्य प्राणी शाखा के क्षेत्र संचालक) को भेजे जायें।
8. पुरस्कार हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्थान/शासकीय सेवक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी तथा वन्यप्राणी शाखा के क्षेत्र संचालक को प्रस्तुत करेंगे। वृत्त स्तर पर मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जावेगी, जिसमें वृत्त के वनमण्डलों से प्राप्त प्रस्ताव पर बैठक उपरान्त चयनित प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक द्वारा अपने अभिमत सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सं.व.प्र.) को प्रेषित करेंगे।

9. ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत के नामांकन जिला पंचायत की अनुशंसा सहित संबंधित वनमण्डलाधिकारी एवं वन्यप्राणी शाखा के क्षेत्र संचालक, टाईगर रिजर्व को भेजे।

10. पुरस्कार हेतु चयन के समस्त अधिकार राज्य स्तरीय चयन समिति में निहित होंगे। चयन समिति के विवेकानुसार प्रस्तावित पुरस्कार की श्रेणी में परिवर्तन किया जा सकता है।

11. चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा इस संबंध में कोई वाद किसी भी न्यायालय में मान्य नहीं होगा।

12. विज्ञापन में दिए गये पुरस्कार की श्रेणी में उपयुक्त संस्था/व्यक्ति मिलने पर ही उसे पुरस्कार के लिये चयनित किया जावेगा, उपयुक्त व्यक्ति न मिलने पर उस वर्ष उस श्रेणी में पुरस्कार नहीं दिया जावेगा।

13. प्रस्तावकों को परामर्श दिया जाता है कि कार्य के अधिक से अधिक फोटोग्राफ, वीडियों, पेपर कटिंग आदि संलग्न करें। निजी भूमियों पर वृक्षारोपण कार्य हेतु ग्राम का नाम, कार्य स्थल का नाम, वृक्षारोपण का क्षेत्र हेक्टेयर में, रोपित पौधों की संख्या, जीवित पौधों की संख्या एवं प्रतिशत बताया जाना अनिवार्य है।

14. निर्धारित फार्म पर भरे हुए नामांकन संबंधित क्षेत्र के वन संरक्षक (क्षेत्रीय)/वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय तथा वन्य प्राणी शाखा के क्षेत्र संचालक) के कार्यालय में पांच प्रतियों में जमा करना अनिवार्य हैं।

15. विगत पांच वर्षो के अन्तर्गत वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा तथा वन संवर्धन में किये गये उल्लेनीय कार्य के लिए उक्त पुरस्कार दिये जायेंगे।

16. संस्थागत/गैर शासकीय/शासकीय श्रेणी में आवेदनकर्ता को विगत पांच वर्षो में एक बार भी यदि किसी भी राज्य स्तरीय पुरस्कार योजनान्तर्गत नगद पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो उनके प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे।

17. वृक्षारोपण कार्य में संलग्न व्यापारिक प्रतिष्ठान उपरोक्त पुरस्कार हेतु पात्र नहीं होंगे।

18. आवेदक अपने कार्य से संबंधित दस्तावेज पांच प्रतियों में एवं रंगीन फोटोग्राफ आदि संलग्न करें तथा अपने स्वयं के नवीनतम पासपोर्ट साइज के दो-दो रंगीन फोटोग्राफ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

।। आदेश ।।

भोपाल, दिनांक 16/10/2012

क्रमांक एफ–25–08/2009/10–2 : राज्य शासन द्वारा विन्ध्य क्षेत्र के उत्कृष्ट कोटि के संरक्षणवादी बसामन मामा की स्मृति में "बसामन मामा स्मृति वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार" सम–संख्यक आदेश क्रमांक एफ 25–8/09/10–2 दिनांक 23 मई, 2009 द्वारा संस्थापित किया गया है। उक्त आदेश द्वारा निर्धारित पुरस्कार एवं प्रकिया को निरस्त करते हुए इन पुरस्कारों हेतु पुनरीक्षित प्रक्रिया स्थापित की जाती है।

2/ इन पुरस्कारों हेतु निम्नानुसार श्रेणियां होंगी:–

(A) विन्ध्य क्षेत्र स्तरीय बसामन मामा स्मृति वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण तथा वन संवर्धन पुरस्कार:--

(i) यह पुरस्कार विन्ध्य क्षेत्र, जिसमें छतरपुर, रीवा एवं शहडोल वन वृत्तों के भौगोलिक क्षेत्र आते हैं, उनमें निवास करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, पदस्थ शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वनों एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं वन संवर्धन के लिए प्रदर्शित की गई शूरवीरता, अदम्य साहस, उत्कृष्ट कार्य एवं उल्लेखनीय योगदान के लिये प्रदान किया जाएगा।

(ii) बसामन मामा स्मृति वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण तथा वन संवर्धन पुरस्कार प्रति वर्ष निम्नानुसार दो श्रेणियों में प्रदाय किया जाएगा–

(क) शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की श्रेणी–

(a) प्रथम पुरस्कार– रूपये 2.00 लाख

(b) द्वितीय पुरस्कार-- रूपये 1.00 लाख

(c) तृतीय पुरस्कार-- रूपये 50 हजार

(ख) अशासकीय व्यक्तियों की श्रेणी–

(a) प्रथम पुरस्कार– रूपये 2.00 लाख

(b) द्वितीय पुरस्कार-- रूपये 1.00 लाख

(c) तृतीय पुरस्कार– रूपये 50 हजार

(iii) इन पुरस्कारों के विजेताओं को उपरोक्तानुसार धनराशि के साथ–साथ उनके द्वारा किए गये उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रशस्ति–पत्र भी प्रदान किया जावेगा।

(iv) यदि किसी वर्ष विशेष में बसामन मामा स्मृति वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण तथा वन संवर्धन पुरस्कार किसी अशासकीय व्यक्ति को मरणोपरांत दिया जाता है तब उस वर्ष उपरोक्त अन्य किसी श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदाय नहीं किया जावेगा। चूंकि राज्य शासन द्वारा शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को मरणोपरांत मुआवजा की राशि प्रदान की जाती है, इसलिए उन्हें मरणोपरांत इस श्रेणी के पुरस्कार की पात्रता नहीं होगी।

(B) राज्य स्तरीय बसामन मामा स्मृति वृक्षारोपण पुरस्कारः–

(i) मध्यप्रदेश में निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नानुसार दो श्रेणियों में राज्य स्तरीय बसामन मामा स्मृति वृक्षारोपण पुरस्कार प्रदान किया जाएगाः–

(क) 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण की श्रेणी –

(a) प्रथम पुरस्कार– रूपये 2.00 लाख

(b) द्वितीय पुरस्कार– रूपये 1.00 लाख

(c) तृतीय पुरस्कार– रूपये 50 हजार

(ख) 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में वृक्षारोपण की श्रेणी –

(a) प्रथम पुरस्कार– रूपये 2.00 लाख

(b) द्वितीय पुरस्कार– रूपये 1.00 लाख

(c) तृतीय पुरस्कार– रूपये 50 हजार

(ii) वृक्षारोपण कार्यो हेतु पुरस्कार व्यक्तियों, संस्थाओं, संयुक्त वन प्रबंध समितियों द्वारा वनों एवं गैर–वन क्षेत्रों में किए गए वनीकरण कार्यो हेतु प्रदान किया जाएगा। उद्यानिकी वृक्षारोपण के साथ किए गए वानिकी वृक्षारोपण भी इस हेतु पात्र होंगे।

(iii) राज्य स्तरीय बसामन मामा स्मृति वृक्षारोपण पुरस्कारों के विजेताओं को उपरोक्तानुसार धनराशि के साथ–साथ उनके द्वारा किए वृक्षारोपण कार्य के लिए प्रशस्ति–पत्र प्रदान किया जावेगा।

(iv) पुरस्कार हेतु चयन का मापदंड–

(क) वृक्षारोपण कार्य में संलग्न व्यापारिक प्रतिष्ठान राज्य स्तरीय बसामन मामा स्मृति वृक्षारोपण पुरस्कार हेतु पात्र नहीं होगें।

(ख) वृक्षारोपण पुरस्कार के लिए पांच वर्षो से अधिक उम्र के वृक्षारोपण ही पात्र माने जावेगें।

38

(ग) पुरस्कारों हेतु वृक्षारोपण का चयन उनकी बढ़त, तकनीकी गुणवत्ता, प्रजाति तथा समाज में वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में इनके योगदान आदि मापदण्डो के आधार पर किया जावेगा।

3/ उपरोक्त सभी पुरस्कारों हेतु आवश्यक राशि मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) संघ मर्यादित द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।

4/ इन पुरस्कारों के लिए पात्र व्यक्तियों का चयन करने हेतु चयन समिति का गठन पूर्ववत् रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विश्राम सागर शर्मा)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ. क्रमांक एफ--25--08/2009/10--2
भोपाल दिनांक 16/10/2012

प्रतिलिपिः--

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी
2. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, वन
3. निज सचिव, माननीय राज्यमंत्रीजी, वन
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम, भोपाल
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य--आयोजना, मध्यप्रदेश
9. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, वन
10. आयुक्त, जन सम्पर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

(JFM/FDA) PCCF

अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

प्र.मु.व.स.
उप प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-1)
म.प्र., भोपाल

17523
19-X-12
JFM 8A/174
19.10.12